अपील सूचना का अधिकार संख्या 27/2022 (GCMS 2022/101)(आईटीआई पोर्टल नं. 212615819486192) किशनलाल निवासी 21, 489 जी.बी.ए. (रैड़ [illegible]), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 95875—50760) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी किशनलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी किशनलाल ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 को पेश कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी, किन्तु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु अतिरिक्त खाद्य आयुक्त (प्रथम अपील अधिकारी), राज. जयपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील पेश की थी, किन्तु अतिरिक्त खाद्य आयुक्त (प्रथम अपील अधिकारी), राज. जयपुर को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण, उन्होंने अपील संख्या 35/2022 आदेश दिनांक 07.04.2022 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी और एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए, अपीलार्थी को सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किये जाने पर, यह अपील इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के [illegible] दिनांक 15.09.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगं[illegible]:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:21 IST
Reason: SelfAttested

> सर, मैं किशनलाल प[illegible]सील श्रीविजयनगर [illegible] जो कि मैं जानकारी लेना चाहता हूँ क[illegible] बीपीएल राशनकार्ड म[illegible] नहीं जुड़े हाने से बीपीएल राशन कार्ड से लाभ ले सकते है क्या सर।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/सू.क.अ./2021/5632 दिनांक 04.10.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही है :

> सर, मैं किशनलाल पंचायत 48 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर से हूँ जो कि मैं जानकारी लेना चाहता हूँ की बीपीएल राशनकार्ड में नाम नहीं जुड़े हाने से बीपीएल राशन कार्ड से लाभ ले सकते है क्या सर।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसु/सूअप/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नहीं है। रिट पैटीशन सं. 419/ 2007 डा. सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य मे स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का [illegible] के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

माननीय सू[illegible] सूचना आयोग, जयपुर के पत्रांक [illegible]/CIC/SGNG/A/2020/104467 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा आरटीआई द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNG/A/2020/104467 निर्णय दिनांक 14.07.2021 में यह निर्णय पारित किया गया कि – सूचनाओं के संदर्भ में

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियमानुसार, बिन्दुवार, सटीक सूचना/विनिश्चय जो प्रत्यर्थी/लोक प्राधिकारी की पहुंच में अभिलेख पर है उक्त बिन्दु 01 व 02 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में नही है।

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना अधिकारी संख्या 80/2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवाणर के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी को गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तरदेना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता। अतः सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करना है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

-sd-
(राकेश सोनी)
लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:43:21 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 04.10.2021 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है,

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी की खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:21 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर